Computer

#19
03/08/2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर- पूर्व): कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

परिपत्र

आप सभी को सूचित किया जाता है कि **कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 'विविध हिंदी प्रतियोगिता 2026-27'** का आयोजन दिनांक 14.09.2026 से किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में, उत्तर-पूर्वी जिला में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति, सभी संलग्नकों सहित इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी **'विविध हिंदी प्रतियोगिता-2026-27'** में भाग लेने हेतु अपना नाम निर्धारित प्रपत्र में भरकर अपने पीठासीन अधिकारी/अनुभाग/शाखा प्रभारी से अग्रसारित करवाकर, **दिनांक 14 अगस्त 2026 तक राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली** को भेज सकते हैं। सभी इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी प्रतियोगिता के दिन अपने पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निर्धारित कार्यदिवस व समय पर सीधे परीक्षा स्थल पर जा सकते हैं।

नोटः- इच्छुक कर्मचारियों के नाम अग्रसारित करते हुए संबंधित अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चिच कर लें कि इससे उनके न्यायालय/अनुभाग का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

संजय शर्मा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर पूर्व जिला, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

6030-6038
संख्या...../राजभाषा हिन्दी अनुभाग/उत्तर-पूर्व/क.क.डू./दिल्ली/2026 **दिनांक...01... 2026**

परिपत्र की प्रतिलिपि (संलग्नकों सहित), सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है-

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पूर्व), [redacted] न्यायालय, दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त विद्वत न्यायिक अधिकारी, उत्तर-पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, उत्तर-पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/लेखाधिकारी, लेखानुभाग, उत्तर-पूर्वी जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, उत्तर-पूर्वी जिला को लेयर्स (Layers) पर अपलोड करने हेतु।
9. रीडर, नोडल अधिकारी (उत्तर-पूर्व) केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।

तानिया सिंह

नोडल अधिकारी (उत्तर-पूर्व)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

18 JUL 2026

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में आप सभी को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विविध हिन्दी प्रतियोगिता 2026-2027 का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति, संलग्नकों सहित, इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं 2026-2027 में हिस्सा लेने हेतु अपना नाम निर्धारित प्रपत्र पर भरकर **दिनांक 15 अगस्त 2026** तक **राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय जिला, कक्ष संख्या-238, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली** को भेजें।

इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी प्रतियोगिता के दिन अपने पीठसीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके निर्धारित समय पर सीधे परीक्षा स्थल पर जा सकते हैं। इच्छुक कर्मचारियों के नाम अग्रसारित करते हुए संबंधित अधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इससे उनके न्यायालय/ अनुभाग का कार्य बाधित नही होना चाहिए।

अध्यक्ष 15.07.26

केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

55461-681

संख्या...../हिन्दी/वि.हि.प्रतियोगिता/दिल्ली सरकार/केन्द्रीय/दिल्ली/2026 **दिनांक** 17 JUL 2026

परिपत्र की प्रतिलिपि, संलग्नकों सहित, सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. निजी कार्यालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. **श्री मुकेश कुमार गुप्ता,** विद्वान अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली एवं प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उत्तर-पश्चिम जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली, **श्री धर्मेन्द्र राणा,** वि. केन्द्रीय समन्वयक व सदस्य. के.हि.का.समिति व जिला न्यायाधीश-01, नई दिल्ली जिला, **श्री हेमराज,** वि. सदस्य. के.हि.का.समिति एवं. न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) उत्तर-पश्चिम जिला, **सुश्री रूचि अग्रवाल असरानी,** वि. सदस्य. के.हि.का.समिति एवं विशेष न्याग्राधीश, पी.सी. एक्ट (एसीबी-02) राउज एवेन्यू न्यायालय नई दिल्ली तथा **सुश्री नीति सूरी मिश्रा,** वि. सदस्य. के.हि.का.समिति एवं अति. सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) उत्तर-पश्चिम जिला रोहिणी दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक जिलों के वि. नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली व अनुभाग प्रभारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग इस सूचना व निर्देश सहित प्रेषित कि वे प्राप्त पत्र पर तुरंत आवश्यक व अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अपने संबंधित न्यायिक जिलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं से अवगत करवाएं व इच्छुक अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम निर्धारित प्रपत्र पर मंगवाकर उन्हें सीधे दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को प्रेषित करें व इनकी एक सूची केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय तीस हजारी, दिल्ली को भी प्रेषित करें। North-East
4. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, अति० प्रधान न्यायाधीश व न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. विद्वान सचिव, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. कार्यालय विद्वान प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
8. समस्त प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/ अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखानुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10. जनसूचना अधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
11. प्रशासनिक अधिकारी/ अनुभाग प्रमुख, कंप्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (लेयर्स पर अपलोड करने हेतु)।
13. अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के रीडर।

अवलोकित। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचालित किया जाए।
तानिया सिंह
21.07.26
नोडल अधिकारी
(हिन्दी विभाग)
उ.पू. जिला
का.क.न.

धानवी
नोडल अधिकारी (केन्द्रीय)
केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति
जिला न्यायालय, दिल्ली।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 12(12)/2026–2027–क0सं0 एवं भाषा/हि0से0/779 से 859 तक

दिनांक:16.06.2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2026–2027 के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने, इसका प्रचार–प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं। इसी क्रम में 14 सितम्बर, 2026 "हिन्दी दिवस" के अवसर पर कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	दिनांक	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का समय	स्थान
1.	14.09.2026	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	अपराह्न 3.30बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
2.	15.09.2026	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	उपरोक्तानुसार	
3.	16.09.2026	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	उपरोक्तानुसार	
4.	17.09.2026	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा हेतु)
5.	18.09.2026	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	

कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा दिनांक 11.09.2026, सांय 5.30 बजे तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी :–

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 में पूर्वाह्न 10.30बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। प्रतियोगी जिस फॉन्ट में परीक्षा देना चाहता है वह अपनी पैनड्राइव में फॉन्ट ला सकता है। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट https://artandculture.delhi.gov.in पर देखी जा सकती है।

भवदीय

शौर्य

(शौर्य वीर सिंह)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बर: 3734, 2824, 1019

जारी/–

फा.सं. 12(12)/2026–2027–क0सं0 एवं भाषा/हि0से0/860 से 880 तक

दिनांक:16.06.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
6. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, छठा तल, टावर–II, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
9. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियों/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
11. कला, संस्कृति एवं भाषा को वेबसाइट पर अपलोड करने के संदर्भ में।

शौर्य

उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बर 3734, 2824, 1019

हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2026–2027)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् हिन्दी की विविध प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र तैयार करना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों से करवाई जाती है।

4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना नाम उप–सचिव/कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे।

5. आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(i) हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जायेगी। डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण 40 मिनट की अवधि में टाइप करके अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में केवल एक ही वर्ग होगा।

(ii) हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।

(iii) हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा। प्रतियोगिता में टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है।

(iv) कोई भी प्रतियोगिता केवल तभी आयोजित की जा सकेगी, जब संबंधित वर्ग में कम से कम 4 प्रतिभागी अवश्य भाग लें। यदि संबंधित वर्ग की परीक्षा में 4 से कम प्रतिभागी उपस्थित होते हैं तो प्रतियोगिता का आयोजन निरस्त समझा जायेगा।

(v) हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। निबंध प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंकों की होगी और समयावधि 45 मिनट होगी। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पत्र में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।

(iii) वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी स्वायत्त निकाय संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।

(iv) वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

शौर्य

(vi) हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा और इसके पूर्णांक 100 होंगे। इस प्रतियोगिता में कार्यालय के रोजमर्रा के विषयों से संबंधित हिन्दी में टिप्पणी एवं पत्र/परिपत्र/आदेश/ज्ञापन के प्रारूप लिखने होंगे। मूल्यांकन भाषा–शैली, विषयपरकता, नियमों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे:–

(i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।

(iii) वर्ग "ग" में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एवं अन्य किसी सरकारी स्वायत्त निकाय संस्थान के अध्यापकगण शामिल होंगे।

(iv) वर्ग "घ" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

(vii) हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता का समय 5–7 मिनट होगा । इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(i) वर्ग "क" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 व उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।

(ii) वर्ग "ख" में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 से 7 के अन्तर्गत अराजपत्रित कर्मचारी शामिल होंगे।

(iii) वर्ग "ग" में समस्त मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल होंगे।

(iv) हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता के इस वर्ग में अध्यापकगण शामिल नहीं होगा।

6. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिये नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है :–

प्रथम पुरस्कार	(एक)	4000/–रूपये (प्रत्येक वर्ग)
द्वितीय पुरस्कार	(एक)	3000/–रूपये (प्रत्येक वर्ग)
तृतीय पुरस्कार	(एक)	2000/–रूपये (प्रत्येक वर्ग)
प्रोत्साहन पुरस्कार	(पांच)	800/–रूपये (प्रत्येक वर्ग)

7. समस्त प्रतियोगिताओं में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हो सकता है परन्तु प्रतियोगी को पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जायेगा, जिसमें प्रतियोगी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा । यदि दो अधिकारी/कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये है तो रोल नम्बर के अनुसार पुरस्कार दिया जायेगा।

8. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार को इन प्रतियोगिताओं की नियमावली के किसी उपबंध, पुरस्कारों की राशि, संख्या, और परीक्षा के स्थान, तिथि व समय आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

9. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के बारे में, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

10. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के अधिकारी/कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत एवं केन्द्रीय सरकार के अधिकारी/कर्मचारी को भाग लेने की अनुमति नहीं है।

शेष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कार्यालय का नाम)

हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण–आलेखन, हिन्दी सुलेख, हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइप (लिखित/मौखिक) प्रतियोगिता 2026–2027 में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्रः–

(प्रपत्र के सभी कॉलम भरने अनिवार्य हैं)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति/माता का नाम :
3. पदनाम :
4. वेतन मैट्रिक्स में स्तर :
5. शैक्षिक योग्यता :
6. विभाग का नाम व पूरा पता :
7. ई–मेल आईडी (अवश्य लिखें) :
8. अधिकारी/कर्मचारी का मोबाईल नम्बर (अवश्व लिखें) :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।

11. प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ग में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात् प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

12. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले दो वर्षों के लिए प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी जायेगी।

13. केवल दिल्ली सरकार के विभागों, स्वायत्त निकायों के कार्यालयों के वेतन रोल पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी ही प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे, जिनके नाम विभाग द्वारा उचित माध्यम से इस विभाग को प्राप्त होंगे तथा कॉन्ट्रेक्ट पर लगे कार्मिक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

14. प्रतिभागी अपने संबंधित वर्ग में ही प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा, किसी अन्य वर्ग में नहीं।

15. प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

सौर्य

उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बर: 1019, 2624, 3734